



संख्या-96/2026/851/सैंतीस-2-2026/001-1(32)/2015टीसी-1355133

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक- 27 अप्रैल, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-09/सा0-1/एक्स-84(120)/बहु.स.प.चि.से./2026-27, दिनांक- 09.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-09-बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें (रा.यो.) के निम्नलिखित मानक मदों में रू0-3374.30 लाख (रूपये तैंतीस करोड़ चौहत्तर लाख तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	880.00
39-औषधि तथा रसायन	710.00
42-अन्य व्यय	88.70
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	40.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1655.60
योग-	3374.30

(रूपये तैंतीस करोड़ चौहत्तर लाख तीस हजार मात्र)

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
- (3) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न

किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

- (5) विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
- (6) यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित किया जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
- (7) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय 30प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, 30प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (8) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वहन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
- (10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्षक**: 2403001010900 (बहुउद्देशीय सचल पुश चिकित्सा सेवायें (राज्य योजना))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001010900 बहुउद्देशीय सचल पुश चिकित्सा सेवायें (राज्य योजना)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	8,80,00,000 (रुपये आठ करोड़ अस्सी लाख मात्र)
2	015	2403001010900 बहुउद्देशीय सचल पुश चिकित्सा सेवायें (राज्य योजना)	39 औषधि तथा रसायन	7,10,00,000 (रुपये सात करोड़ दस लाख मात्र)
3	015	2403001010900 बहुउद्देशीय सचल पुश चिकित्सा	42 अन्य व्यय	88,70,000 (रुपये अट्ठासी लाख सत्तर)

		सेवार्ये (राज्य योजना)		हजार मात्र)
4	015	2403001010900 बहुउद्देशीय सचल पुश चिकित्सा सेवार्ये (राज्य योजना)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
5	015	2403001010900 बहुउद्देशीय सचल पुश चिकित्सा सेवार्ये (राज्य योजना)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	16,55,60,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख साठ हजार मात्र)
	कुल			33,74,30,000 (रुपये तैंतीस करोड़ चौहत्तर लाख तीस हजार मात्र)

महायोग	33,74,30,000 (रुपये तैंतीस करोड़ चौहत्तर लाख तीस हजार मात्र)
--------	---

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

पृ0सं0- 96/2026/851(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(32)/2015टीसी-1355133, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।